

पत्र सं 292
21/3/18

उपायुक्त का कार्यालय
पंजी का क्रमांक
23 FEB 2018
प्रेषक,
सावित्री देवी,
गोडडा (झारखण्ड)
अध्यक्ष

दिनांक : 14.02.2018

निवेदन
सावित्री देवी

विशेषज्ञ समूह, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन समिति।

सेवा में,
उपायुक्त
गोडडा

विषय- विशेषज्ञ समूह के द्वारा अंतिम सामाजिक प्रभाव प्रतिवेदन के आकलन कर तैयार की गई रिपोर्ट समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग-उपायुक्त, गोडडा के ज्ञापांक 1290 दिनांक 29.11.2017 के संदर्भ में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में एन0टी0पी0सी0, कहलगाँव से हुरा 'सी' माइन्स को जोड़ने वाली एमजीआर रेल लाइन निर्माण के लिए रकवा-42.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हेतु विशेषज्ञ समूह के द्वारा अंतिम सामाजिक प्रभाव प्रतिवेदन का आकलन कर तैयार की गई रिपोर्ट अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

सावित्री देवी
14/2/18
मुखिया

ग्राम पं० सावित्री देवी उत्तरी
प्र०- महागामा (झारखण्ड)

विशेषज्ञ समूह, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन समिति

अनुलग्नक- रिपोर्ट की मूल प्रति
(03 पेज)

1798
सावित्री देवी

23/2

विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन का अंतिम प्रतिवेदन का मूल्यांकन

ईसीएल द्वारा हुर्रा-सी कोल माइन्स से एन0टी0पी0सी0, कहलगाँव को कोयला आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु एन0टी0पी0सी0, कहलगाँव(डेहरी कैबिन) से हुर्रा 'सी' माइन्स को जोड़ने वाली एमजीआर रेल लाइन निर्माण के लिए रकवा-42.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम - 2013 की धारा-04 के तहत भूमि का अधिग्रहण के पूर्व वहाँ का सामाजिक प्रभाव आकलन का अध्ययन करवाना अनिवार्य है। इस कार्य के लिए सोसल एक्सन फोर रूरल डबलवमेंट (शारदा), रामगढ़ का चयन किया गया था। शारदा, रामगढ़ द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन का अध्ययन का मूल्यांकन कार्य किया गया, इसके पश्चात अगस्त-2017 एवं सितम्बर- 2017 माह में ग्राम सभा का आयोजन कर जन सुनवाई की कार्यवाही की गई। शारदा, रामगढ़ द्वारा अक्टूबर-2017 में सामाजिक प्रभाव आकलन का अंतिम प्रतिवेदन भू-अर्जन कार्यालय को समर्पित की जा चुकी है।

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम - 2013 की धारा -07 के तहत एक विशेषज्ञ समूह द्वारा अंतिम सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जाना है। इस संदर्भ में ज्ञापांक सं0 1290/भूअ0, गोड्डा दिनांक 29/11/2017 के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार है।

विशेषज्ञ समूह के सदस्य

पंचायत प्रतिनिधि :-

1. श्रीमति सावित्री देवी, मुखिया-सह-पंचायत प्रतिनिधि, महागामा उत्तरी पंचायत- अध्यक्ष
2. श्री मोहम्मद अंसारी, मुखिया-सह-पंचायत प्रतिनिधि, जियाजोरी पंचायत- सदस्य

सामाजिक वैज्ञानिक :-

1. डा0 सुजित कुमार सोरेन, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, संथाल परगना महाविद्यालय दुमका - सदस्य

पुनर्वास विशेषज्ञ :-

1. डा0 तारणी प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका - सदस्य
2. डा0 अजय कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका - सदस्य

तकनीकी विशेषज्ञ :-

1. अजय कुमार, उपमहाप्रबंधक, एन0टी0पी0सी0, कहलगाँव

विशेषज्ञ समूह द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आकलन किया जाता है।

1. परियोजना लोक प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा करती है अथवा नहीं के संबंध में।
2. सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक प्रभाव के कुप्रभाव अथवा लाभ के संबंध में।
3. अन्य प्रतिवेदन/मंतव्य जो विशेषज्ञ समूह (Expert Group) आवश्यक समझती है।

विशेषज्ञ समूह प्रभावित गाँवों (बलियाकुर्मीकिता रवियाडीह संथाली, बालाचीनी, महागामा) का दौरा किया एवं उपर्युक्त बिन्दुओं पर बैठक कर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक उपरांत भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम - 2013 की धारा 07 के तहत विशेषज्ञ समूह की राय निम्न है :-

अजय कुमार/Ajay Kumar
उप-महाप्रबंधक (सिविल)/UGM (CIVIL)
एनटीपीसी लिमिटेड/NTPC Limited
कहलगाँव, भागलपुर/Kahalgau, Bhagalpur

मुखिया
पं०-जियाजोरी
प्र०-महागामा (गोड्डा)

सावित्री देवी
मुखिया
ग्राम पं०- महागामा उत्तरी
प्र०- महागामा (गोड्डा)

लोक प्रयोजन -

1. परियोजना का विवरण
अधियाचित विभाग - एनटीपीसी, कहलगाँव, भागलपुर
परियोजना का नाम - डेहरी कैबिन, जियाजोरी, महागामा से हुर्दा 'सी' माइन्स को जोड़ने वाली एमजीआर रेल लाइन का निर्माण (लम्बाई - 10 किलो मीटर)
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित रकवा - 42.68 एकड़
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित मौजा - बलियाकुर्मीकित्ता रवियाडीह सन्थाली, बालाचीनी, महागामा, रक्सकित्ता (महागामा अंचल) एवं लीलातरी (बोआरीजोर अंचल)
2. हुर्दा सी कोल माइन्स का कोयला एनटीपीसी के लिए ही आवंटन है। यदि हुर्दा सी माइन्स से एनटीपीसी को कोयला आपूर्ति की जाती है तो कोल माइन्स से आने वाले Royalty के मद में आने वाले राशि झारखण्ड सरकार को प्राप्त होगी और झारखण्ड सरकार का आर्थिक विकास होगा।
3. हुर्दा सी माइन्स से यहाँ के प्रभावित परिवारों को रोजगार मिलेगा साथ ही साथ प्रभावित परिवारों पर सकारात्मक सामाजिक/आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।
4. प्रभावित गाँवों में R&R के तहत विकास कार्य किये जायेंगे।
5. एनटीपीसी द्वारा बिजली उत्पादन में से झारखण्ड सरकार को भी बिजली की आपूर्ति की जा रही है तथा भविष्य में आपूर्ति जारी रहेगी।
6. इसके अलावा इस कोयला आपूर्ति से बिजली का उत्पादन खर्च कम होगा तथा इससे जनमानस को कम दर बिजली प्राप्त होगी।

अतः प्रस्तावित परियोजना निश्चित रूप से लोक प्रयोजन हेतु है।

परियोजना से लाभ -

1. रोजगार का सृजन होगा एवं प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
2. वर्तमान में यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं। परियोजना आने के उपरान्त यहाँ पर छोटे-छोटे उद्योगों का निर्माण होगा। ग्रामीणों का आर्थिक विकास होगा। जिससे गाँवों से बाहर रोजगार करने वाले का पलायन रुकेगा।
3. यहाँ के युवकों को कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी जैसे Computer का प्रशिक्षण, सिलाई मशीन का प्रशिक्षण, ITI का प्रशिक्षण इत्यादि। इन कारणों से उनके व्यक्तित्व में उभार आयेगा।
4. R&R के तहत बुनियादी ढांचे में सुधार का अवसर प्रदान होगा जैसे सड़क का निर्माण, बेहतर-स्वास्थ्य की सुविधा, विद्यालय एवं सामुदायिक भवन का निर्माण, वर्षा की पानी के संचय हेतु तालाब का निर्माण इत्यादि।

परियोजना से हानि -


1. भू स्वाभियो की भूमि का जाना मुख्य हानि है। इसे उचित मुआवजा देकर एवं रोजगार की उत्पत्ति के द्वारा भरपाई की जायेगी।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाये गये तथ्य -

रलवे लाईन निर्माण के प्रस्तावित क्षेत्र अन्तर्गत कोई मकान (एक-दो मकान छोड़ कर) मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, सामुदायिक भवन आदि नहीं है। किसी का विस्थापन नहीं होगा। यह महसूस किया जाता है कि उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में ग्रामीणों की बेहतर आजीविका के मामले में बहुत सुधार होगा। चूँकि यह क्षेत्र का फसल वर्षा पर निर्भर है जिसके कारण फसल के द्वारा वार्षिक आय लगभग ₹0 35000/ प्रति एकड़ है जबकि मिलने वाली मुआवजा राशि से कई गुना लाभ होगा साथ ही साथ परियोजना आने के कारण सृजन की गई विभिन्न प्रकार की नौकरियों का लाभ मिलेगा।


09/02/2018

अजय कुमार AJAY KUMAR
उप-महाप्रबंधक (सिविल)/DGM (CIVIL)
एनटीपीसी लिमिटेड/NTPC Limited
कहलगाँव, भागलपुर/Kahalgau, Bhagalpur


09/02/18


मुखिया
पं-जियाजोरी
प्र-महागामा (गोडा)

लाक्ष्मी देवी
मुखिया

पं-महागामा उत्तरी
प्र-महागामा (गोडा)


09/02/18

उपर्युक्त विन्दुओं को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय ग्रामीणों को बहुत सा लाभ मिलेगा।

विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा :-

परियोजना से गोड्डा जिले का सामाजिक/आर्थिक विकास होगा यह परियोजना अर्थव्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि करेगी एवं क्षेत्र में समग्र सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। अप्रत्यक्ष रूप से यह रोजगार के अनेकों अवसरों का सृजन, आर्थिक विकास, कृषि, शिक्षा आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रभावित परिवारों का विवरण -

प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत उपरोक्त ग्रामों में कुल रकबा 42.68 एकड़ भूमि की अधियाचना एनटीपीसी के द्वारा दी गई है इससे प्रत्यक्ष रूप से करीब 550 परिवार प्रभावित हो सकते हैं

परियोजना का प्रभाव

1. सकारात्मक प्रभाव - प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से इस क्षेत्र के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे एवं विद्युत की स्थिति, शिक्षा, सकारात्मक परिवर्तन होंगे
2. नकारात्मक प्रभाव - प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन


भू अर्जन के फलस्वरूप प्रभावित परिवारों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को उचित मुआवजे एवं आर्थिक विकास से कम किया जा सकता है। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन के लिए सभी प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि तथा अन्य संरचना के नुकसान का उचित मुआवजा झारखंड सरकार की अधिसूचना के अनुसार भुगतान किया जायेगा।


निष्कर्ष/अनुशंसा


उक्त परियोजना लोकहित तथा लोक प्रयोजन के उद्देश्य से अभिप्रेरित है तथा इससे क्षेत्र के जन-जीवन का सामाजिक तथा आर्थिक गुणात्मक विकास में सहयोग प्राप्त होगा। भू अर्जन को भी न्यूनतम रखा गया है।


सावित्री देवी
मुखिया
ग्राम पं०- महागामा उत्तरी
प्र० महागामा (गोटा)
श्रीमति सावित्री देवी, पंचायत
प्रतिनिधि अध्यक्ष


मुखिया
श्री मोहम्मद अंसारी,
पंचायत प्रतिनिधि
प्र० महागामा (गोटा)


डॉ० तारणी प्रसाद सिंह
पुनर्वास विशेषज्ञ
Head
P G Dept of Economics
I. K. M. University, Kanpur


डॉ० सुजीत कुमार सोरेन
सामाजिक वैज्ञानिक


डॉ० अजय कुमार सिन्हा
पुनर्वास विशेषज्ञ


श्री अजय कुमार, उपमहाप्रबंधक
एनटीपीसी, कहलगाँव
अजय कुमार/AJAY KUMAR
उप-महाप्रबंधक (सिविल)/DGM (CIVIL)
एनटीपीसी लिमिटेड/NTPC Limited
कहलगाँव, भागलपुर/Kahalgaon, Bhagalpur